

जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा

राज्य महिला नीति (महिला प्रकोष्ठ)

सत्र 2022-2023

रिपोर्ट

1. "पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट", 2. "व्यक्तिगत स्वच्छता", 3. "छात्राओं में रक्ताल्पता एवं पोषण" पर व्याख्यान माला

माह अगस्त की गतिविधियाँ

दिनांक 30 अगस्त 2022 को जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा में राज्य महिला नीति कार्यक्रम की श्रृंखला में "पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट", "व्यक्तिगत स्वच्छता", तथा "छात्राओं में रक्ताल्पता एवं पोषण" इन तीन विषयों पर व्याख्यान माला आयोजित की गई। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट पर व्याख्यान एडवोकेट एवं अभिभाषक परिषद् कोटा की संयुक्त सचिव सुश्री सोनल विजय द्वारा दिया गया। उन्होंने इस एक्ट से संबंधित नियम व प्रावधानों की विस्तृत उदाहरण सहित चर्चा छात्राओं के साथ साझा की। इस एक्ट के उल्लंघन से क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने दृष्टांत देकर बताया।

डॉ. दीपा स्वामी द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता व रक्त अल्पता और पोषण विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि शारीरिक स्वच्छता क्यों आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य के विशेष गुर साझा करते हुए उन्होंने बताया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक साथ जुड़े हुए हैं। छात्राओं में होने वाली पोषण की कमी को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से तत्व कौनसे पदार्थों में मिल सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. संजय भार्गव जी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि छात्राएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। सभी क्षेत्रों में आज वह पुरुषों की तुलना में आगे ही हैं। साथ ही उनको अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाकर सदा उन्नति करते रहना चाहिए। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन डॉ. अनिता मालव द्वारा किया गया। अंत में प्रभारी डॉ. संगीता सिंह द्वारा कार्यक्रम की सफलता हेतु सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठतम सदस्य डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव सहित सभी सह, सहायक आचार्य, नवनियुक्त छात्रा संघ अध्यक्ष अंजलि मीना पैनल सहित, एन.सी.सी. कैडेट, एन.एस.एस. कार्यकर्ता एवं अन्य छात्राएं उपस्थित रहीं।



जेडीबी कॉलेज में व्याख्यानमाला आयोजित

संदेश न्यूज। कोटा, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय में राज्य महिला नीति कार्यक्रम की श्रृंखला में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा छात्राओं में रक्ताल्पता एवं पोषण विषयों पर व्याख्यानमाला आयोजित की गई। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट पर एडवोकेट एवं अभिभाषक परिषद् कोटा की संयुक्त सचिव सुश्री सोनल विजय द्वारा दिया गया। उन्होंने इस एक्ट से संबंधित नियम व प्रावधानों की विस्तृत उदाहरण सहित चर्चा छात्राओं के साथ साझा की। इस एक्ट के उल्लंघन से क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। डॉ. दीपा स्वामी ने

छात्राओं को कानूनी जानकारियों के साथ शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी बताया

जे डी बी कॉलेज में राज्य महिला नीति कार्यक्रम

कोटा, 30 अगस्त। जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय में राज्य महिला नीति कार्यक्रम की श्रृंखला में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा छात्राओं में रक्ताल्पता एवं पोषण विषयों पर व्याख्यानमाला आयोजित की गई। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट पर एडवोकेट एवं अभिभाषक परिषद् कोटा की संयुक्त सचिव सुश्री सोनल विजय द्वारा दिया गया। उन्होंने इस एक्ट से संबंधित नियम व प्रावधानों की विस्तृत उदाहरण सहित चर्चा छात्राओं के साथ साझा की। इस एक्ट के उल्लंघन से क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। डॉ. दीपा स्वामी ने